

13-2-20

वकील प्रार्थी उपरोक्त पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा शवाला निरस्ती का अर्ज दायर है। शवाला निरस्ती विचार विभाग से संबंधित होने के कारण पत्रावली राजस्व अनुभाग से संबंधित होने के कारण मूल पत्रावली को अग्रिम कार्यवाही हेतु स्थानान्तरित की जावे। पत्रावली नम्बर से कत की जाकर बाद तत्काल राजस्व अनुभाग को स्थानान्तरित की जावे।



सत्यमेव जयते

(कपिल यादव)  
सहायक कलेक्टर  
एवं उपसहायक अधिकारी  
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official